रजिस्ट्री संख्या डी—(डी एन)—73

REGISTERED No. D—(DN)—73

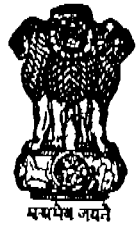

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 31, 1985 (भाद्रपद 9, 1907)

No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 31, 1985 (BHADRA 9, 1907)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड-1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	663
भाग I—खण्ड-2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1085
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1225
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	*
भाग II—खण्ड-1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . .	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . . .	*
भाग II—खंड-3-उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) . .	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए सांविधिक नियम और आदेश .	*
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	29483
भाग III—खंड 2—पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	655
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं [illegible] निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1731
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और [illegible] निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	143
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़े को दिखाने वाला अनुपूरक .	

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	663
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	1085
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notification regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1225
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, by-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	29483
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	655
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1731
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	143
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मंत्रिमंडल सचिवालय

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 8 अगस्त 1985

सं० ए-11013/8/85-प्रशा० I—सरकार ने दिसम्बर 2/3, 1984 की रात को भोपाल में जहरीली गैस के रिसाव से जीवन प्रणाली पर पड़ने वाले प्रभाव पर अध्ययन शुरू करने के लिए एक आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। यह आयोग निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा :—

(i) भोपाल में जहरीली गैस रिसाव से प्रभावित मानव, पशु और पादप जीवन प्रणालियों के बारे में पहले किए गए प्रेक्षणों के अतिरिक्त आगे और सूचना एकत्रित करना;

(ii) पहले किए गए प्रेक्षणों का आगे और विश्लेषण करना तथा प्रारंभिक प्रभावों का प्रामाणिक विवरण तैयार करना;

(iii) प्रारंभिक स्तरों पर किए गए चिकित्सा और उपचारी अभ्युपायों के बारे में सूचना एकत्रित करना तथा विभिन्न अभ्युपायों की उपचारी कार्रवाई सुझाने की दृष्टि से सापेक्षिक प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना।

(iv) नामित अन्वेषकों और ग्रुपों द्वारा प्रभावित मानव, पशु और पादप जीवन की जांच का किया जाना और विशिष्ट अन्वेषणों के लिए सहायता प्रदान करना।

(v) पशु और पादप प्रणालियों पर जहरीली गैस के अनुकारी प्रभावों का विशिष्ट अध्ययन प्रारंभ करना तथा दीर्घावधिक प्रभावों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना और ऐसे प्रभावों के लिए उचित तंत्र तैयार करना।

(vi) निरंतर दो वर्षों तक प्रभावितों के बारे में दीर्घावधिक प्रेक्षण प्रारंभ करना तथा प्रभावितों सम्बन्धी चिकित्सीय और उपचारी उपायों के बारे में एवं व्यावसायिक समस्याओं के बारे में सलाह देना।

(vii) प्रभावितों की सन्तति का अध्ययन करना।

(viii) प्रेक्षणों और जांचों की प्रगति और परिणामों के बारे में सरकार को सावधिक रिपोर्टें प्रस्तुत करना।

(ix) वैज्ञानिक अन्वेषणों की गुणवत्ता और गति के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय सामाजिक और विधिक आयामों सम्बन्धी पूर्वग्रह के बिना वैज्ञानिकों और अभिकरणों से समुचित सहायता और सहयोग मांगना एवं प्राप्त करना।

(x) पर्यावरण सम्बन्धी पहलुओं पर जैसे जल, वायु आदि पर गैस के रिसाव के प्रभाव का अध्ययन जारी करना।

(xi) अन्य ऐसे अभ्युपाय एवं कार्रवाई करना जो वैज्ञानिक आधार की स्थापना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक समझे जाएं तथा जो जहरीली व सम्बद्ध सामग्रियों से भविष्य में जीवन प्रणाली पर पड़ने वाले अल्प एवं दीर्घावधि प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए महत्वपूर्ण हों।

गठन

2. आयोग में निम्नलिखित होंगे :

1. डा० सी०आर० कृष्णमूर्ति	अध्यक्ष	(पूर्ण–कालिक)
2. प्रो० एम०एम० शर्मा	सदस्य	(अंश–कालिक)
3. डा० एम०जी० वेब	सदस्य	(अंश–कालिक)
4. प्रो० जे०एस० गुलेरिया	सदस्य	(अंश–कालिक)
5. डा० जी० के० मेहता	सदस्य	(अंश–कालिक)

3. आयोग ऐसी संस्थाओं और वैज्ञानिक ग्रुपों की जिन्हें यह विशिष्ट भूमिका और जिम्मेदारियां सौंपेगा विशेषज्ञता एवं सेवाओं का उपयोग कर सकेगा; अन्वेषकों द्वारा प्राप्त ऐसे प्रेक्षणों और परिणामों को गोपनीय रूप से आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा।

4. आयोग मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन रहेगा। आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा।

5. आयोग की कार्यावधि दो वर्ष होगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों एवं अन्य सभी संबंधितों को भेजी जाए।

अनिल कुमार, संयुक्त सचिव

पेट्रोलियम मन्त्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 जुलाई 1985

संकल्प

सं० जे-13013/2/85-सामान्य—पेट्रोलियम मन्त्रालय के लिए पर्यावरणीय आयोजन तथा समन्वयन पर समिति का पुनर्गठन उसकी वर्तमान अवधि की समाप्ति पर निम्नलिखित रूप में किया गया है :—

1. डा० निलय चौधरी, अध्यक्ष जल के प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए केन्द्रीय बोर्ड, नई दिल्ली।		पदेन
2. डा० पी०के० रे, निदेशक, इंडस्ट्रियल विष–विज्ञान अनुसंधान, केन्द्र, लखनऊ।		सदस्य
3. डा० सी० के० वाल्पय, सहायक प्रोफेसर, स्कूल आफ एनवायर मेंटल साईन्स, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली।		वही

4. डा० ए०के० गांगुली, अतिथि प्रोफेसर, भाभा अणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई। — सदस्य

5. श्री श्याम चैनानी, अवैतनिक सचिव, बम्बई पर्यावरण कार्यकारी दल, बम्बई। — वही

6. श्री टी० आर० भागनाथन, द्वारा भाभा, अणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई। (क्लीन एनवायरनमेंट सोसाइटी के सचिव) — वही

7. निदेशक राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर — सदस्य

8. श्री डी०के० बिस्वास, निदेशक पर्यावरण विभाग, नई दिल्ली। — वही

9. श्री एस०के० दास, मौसम-विज्ञान के महा निदेशक, नई दिल्ली। — वही

10. प्रोफेसर ए० आर० जफर, वनस्पति-विज्ञान के प्रोफेसर, ओसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद-500007 — वही

11. ऊर्जा पर परामर्शदात्री अध्ययन बोर्ड, नई दिल्ली। — वही

2. पेट्रोलियम मन्त्रालय के सचिव, संयुक्त सचिवों तथा सलाहकारों को समिति की बैठकों में स्थायी रूप से आमंत्रित किया जाएगा। संयोजक समिति की बैठक में भाग लेने के लिए अथवा समिति की सहायता देने के लिए किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को भी आमंत्रित कर सकता है।

3. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे —

"पेट्रोलियम मन्त्रालय की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए पर्यावरणीय आयोजन के सभी पहलुओं पर परामर्श देना।"

4. समिति के सदस्यों को किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। तथापि, गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर होने वाला खर्च भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। सरकारी अधिकारियों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते को सम्बन्धित विभागों/उपक्रमों द्वारा पूरा किया जाएगा। समिति पर होने वाला खर्च तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा वहन किया जाएगा।

5. समिति की अवधि दिनांक 26-6-1985 से 2 वर्ष की अवधि के लिए होगी। समिति की बैठकें आवश्यकतानुसार अक्सर होती रहेंगी और समिति भारत सरकार को पेट्रोलियम मन्त्रालय में समय-समय पर उपयुक्त सिफारिश देगी।

6. समिति के लिए आवश्यक सचिवालय सहायता पेट्रोलियम मन्त्रालय द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेश प्रशासनों, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालयों एवं भारत सरकार के सम्बन्धित मन्त्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचनार्थ इस संकल्प को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

टी०एन०आर० राव, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 अगस्त 1985

आदेश

विषय :—अन्डमान अपतट क्षेत्र में एन-19 और एन-27 संरचनाओं में 200 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाईसेंस की स्वीकृति।

सं० ओ-12012/19/85 ओ एन जी डी-4—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तेल भवन, देहरादून (इसके बाद आयोग कहा जाएगा) को अन्डमान अपतट में एन-19 और एन-27 संरचनाओं में 200 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र मे पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस इस आदेश के जारी होने की तिथि से 4 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति देती है।

इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिये गये हैं। लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाये गये तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।

(ग) (स्वत्व शुल्क रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जायेगी :

(i) समस्त अशोधित तेल तथा केसिंग हैड कंडेन्सेट पर 61 रुपये प्रति मीटर टन या ऐसी दर जो समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायगी।

(ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये दर केन्द्रीय सरकार दूसरा समय समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी।

(iii) (स्वत्व शुल्क रायल्टी) की अदायगी, पेट्रोलियम विभाग, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को दी जायगी।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा केसिंग हैड कंडेन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित दर्शाने वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिये गये प्रपत्र में सरकार देना होगा।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 की आवश्यकता के अनुसार आयोग रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।

(च) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जायगी।

1. लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए	4 रु०
2. लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए	20 रु०
3. लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए	100 रु०
4. लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए	200 रु०
5. लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए	300 रुपये।

(छ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 के उपनियम (3) की आवश्यकतानुसार आयोग को अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतंत्रता सरकार को दो माह के नोटिस के बाद होगी।

(ज) केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाये गये समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर छः महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों व्ययन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी और/या उसके धरातल पर आग लगने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए ऐसे उपकरण सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायगा।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास) अधिनियम 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबन्ध लागू होंगे।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक जैसा दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा।

(ठ) आयोग द्वारा खुदाई/अन्वेषी आपरेशनों/सर्वेक्षणों के दौरान एकत्र किये गये बाथी मीट्रिक सतही नमूने धारा और चुम्बकीय आंकड़े सामान्य रूप से रक्षा मन्त्रालय/नौसेना मुख्यालय को प्रस्तुत करने चाहिए।

(ड) आंकड़े भारत में संकलित किये जाते हैं।

(ढ) आयोग समुद्रविज्ञान सम्बन्धी आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

(ण) संकलित आंकड़ों का एक पूरा सेट चीफ हाइड्रोग्राफर/देहरादून को निशुल्क सप्लाई किया जाता है।

(त) विदेशी जल पोत/रिगों का उन्हें वास्तविक रूप से काम में लाने से पहले विशेषज्ञ अधिकारियों के एक दल द्वारा मुख्य नौसेना बेस पर नौसेना सुरक्षा निरीक्षण किया जाता है। प्रत्येक जल पोत/रिग के सम्बन्ध में विवरणों की आठ प्रतियां नौसेना मुख्यालय को इनके आने से छः सप्ताह पहले भेज दी जानी होती है ताकि नौसेना बल को प्रतिनियुक्ति करने में सुविधा हो।

(थ) सर्वेक्षण के शुरु किये जाने/समाप्त किये जाने की तिथि सूचित की जायेगी ताकि भविष्य में संचालनात्मक योजना बनाने में सुविधा हो।

अण्डमान अपतट क्षेत्र में एन–19 और ए०एन०–27 संरचनाओं मे 200 वर्ग क्षेत्र के लिए पी ई एल का समन्वय।

1. संरचना		ए एन–19 और ए एन–27
2. पी ई एल क्षेत्र		200 वर्ग किलो मीटर

पी ई एल क्षेत्र के भूगोलीय समन्वय

3. बिंदू एल	अक्षांश	11° 53″ 20.7″
	रेखांश	93° 05″ 26.9″
4. बिंदू एम	अक्षांश	11° 53″ 18.6″
	रेखांश	93° 11″ 02.1′
5. बिंदू एन	अक्षांश	11° 47″ 35.2″
	रेखांश	93° 11″ 08.3″
6. बिंदू ओ	अक्षांश	11° 45″ 33.1″
	रेखांश	93° 07″ 22.7″
7. बिंदू पी	अक्षांश	11° 36″ 41.4″
	रेखांश	93° 06″ 39.3″
8. बिंदू क्यू	अक्षांश	11° 36″ 41.4″
	रेखांश	93° 04″ 33.1″

भूमि पर महत्वपूर्ण स्थानों से दूरस्थ बिंदुओं की लगभग दूरी।

(i) पोर्ट ब्लेयर पोर्ट 54 किलोमीटर

(ii) नेल 22.5 किलोमीटर

(iii) हैवलेक 31. मिलीमीटर

(1) क्षेत्र उपरिवर्ती जल की औसतन लगभग गहराई—100—400 मी० से कम।

(1) खुदाई की सम्भावित तिथि—1 सितम्बर, 1985।

अनुसूची-"ख"

अशोधित तेल, केसिंग कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक विवरण

के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस

क्षेत्रफल : वर्ग किलो मीटर

माह तथा वर्ष

क—अशोधित तेल

कुल प्राप्त किलो लीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोए अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टनों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टनों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख-केसिंग हैड कन्डेंसेट

प्राप्त किए गए कुल मी० टनों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोए अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टनों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टनों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग—प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गए घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं, श्री----------सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं।

हस्ताक्षर----------

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से और उनके नाम पर
पी० के० राजगोपालन, डैस्क अधिकारी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 जून 1985

संकल्प

सं० ए-17011/6/85-एम०एच० (एम०एस०)—भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी सेवा में प्रवेश पाने के लिए अपेक्षित शारीरिक आरोग्यता के वर्तमान मानकों की पुनरीक्षा करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों की एक समिति का गठन किया जाये :—

1.	डा० एस० एन० मुखर्जी, अपर महानिदेशक	अध्यक्ष
2.	डा० ए० के० भट्टाचार्य, उप महानिदेशक (एम०)	सदस्य
3.	महानिदेशक सिविल विमानन या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
4.	सलाहकार (नेत्र विज्ञान)	सदस्य
5.	संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	सदस्य
6.	सदस्य, रेलवे बोर्ड या उनका प्रतिनिधि	सदस्य
7.	संयुक्त सचिव कृषि, मंत्रालय या उनका प्रतिनिधि	सदस्य
8.	श्री पी० आर० दास गुप्ता, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
9.	डा० बी० पी० यादव, पुनर्वास परामर्शदाता, सफदरजंग अस्पताल	सदस्य
10.	डा० एस० एम० सिंह, शल्य विज्ञान परामर्शदाता, सफदरजंग अस्पताल	सदस्य
11.	डा० बी० पी० गुप्ता, आयुर्विज्ञान-परामर्शदाता, सफदरजंग अस्पताल।	सदस्य
12.	डा० पी० डी० निगम, वरिष्ठ हृदयरोग विज्ञानी, डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल	सदस्य
13.	डा० जी० एच० गिडवानी, सहायक महानिदेशक (एम०)	सदस्य-सचिव

2. समिति के विचारार्थ विषय केन्द्रीय सरकार के अधीन सरकारी कर्मचारियों की चिकित्सा आरोग्यता के लिए वर्तमान नियमों की पुनरीक्षा करना है।

3. समिति अपनी रिपोर्ट, इसके गठन की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगी।

आदेश

आदेश है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली, राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री का कार्यालय/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/दिल्ली प्रशासन/भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग तथा नियंत्रक एवं महालेखाकार नई दिल्ली को भेजी जाये।

विभिन्न सेवाओं वाले संबंधित मंत्रालय कृपया विशेष कार्य, यदि कोई हो, के बारे में अपनी टिप्पणी भेजें। यह सूचना डा० जी० एच० गिडवानी, सहायक महानिदेशक (एम०), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली के पास 31-8-1985 तक पहुंच जानी चाहिए। यदि कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि इस पर आपकी कोई टिप्पणी नहीं है।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए इस संकल्प को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

के० सी० सेचुरी, अवर सचिव

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 अगस्त 1985

संकल्प

सं० 16-25/80-डी०ई०—भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अब से अंतर्राष्ट्रीय डेरी संघ के तत्वावधान में राष्ट्रीय समिति के रूप में भी कार्य करेगा। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अन्य कुछ ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित कर सकता है, जो तकनीकी, तथा वैज्ञानिक व्यक्ति अथवा डेरी उद्योग के क्षेत्र में अन्यथा सुप्रसिद्ध व्यक्ति हो सकते हैं।

2. अपर सचिव, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, नई दिल्ली राष्ट्रीय समिति के सदस्य सचिव होंगे।

3. समिति डेरी क्रियाकलापों/देश के हितों, जैसे उत्पादन, उपकरणों के विनिर्माण, वाणिज्य, खपत, डेरी प्रशासन तथा पशु-पालन के अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय डेरी नीति के लिए मोटे मार्ग दर्शन तैयार करेगी और इस सम्बन्ध में अंतर्राष्ट्रीय डेरी संघ की बैठकों में एक समन्वित राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगी।

4. समिति समय-समय पर ऐसे समय तथा स्थान पर अपनी बैठक करेगी, जैसा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन तथा भारत सरकार के मंत्रालयों के विभागों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री का सचिवालय, लोक सभा सचिवालय एवं राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि आम जानकारी के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

के० आर० नैयर, संयुक्त सचिव

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त 1985

सं० सी–13011/1/75-सतर्कता—श्री डी० एस० मोरक्मा, उपमुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात, मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात का कार्यालय, नई दिल्ली के विरुद्ध सी सी एस (सी सी ए) नियम, 1965 के नियम 14 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई आरम्भ की गई । जांच की गई । जांच अधिकारी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया परन्तु इस बीच श्री डी० एस० मोरक्मा अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो गए ।

2. पहले जांच प्रतिवेदन पर विचार करने पर यह सोचा गया था कि सी सी एस (पैंशन) नियम, 1972 के नियम 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री डी० एस० मोरक्मा, उप मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात (सेवा-निवृत्त) को स्वीकार्य मासिक पैंशन की 5% कटौती की राशि और सरकार की ओर प्राप्त राशियों को भी उनसे वसूल किया जाए । श्री डी० एस० मोरक्मा, उप मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात (सेवा-निवृत्त) को सम संख्यक ज्ञापन दिनांक 22–8–1984 के अन्तर्गत एक अवसर दिया गया । चूंकि उनके पते ठिकाने की जानकारी नहीं थी, यह ज्ञापन बिना डिलीवर हुए वापस प्राप्त हुआ ।

3. ध्यानपूर्वक विचार करने पर राष्ट्रपति अब अन्तिम तौर पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि श्री डी० एस० मोरक्मा, उप मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात (सेवा-निवृत्त) पूर्ण निष्ठा बनाए रखने में असफल रहे और उन्होंने यहां तक कदाचार किया कि उन्होंने 1–6–1974 को मैसर्ज साल्वा स्टील इंडस्ट्रीज, मेरठ के पक्ष में स्टेनलैस स्टील एंगल्स एंड प्लेट्स मद के लिए उच्चतर मूल्य का, आयात लाइसेंस जारी करने का आदेश दिया, जिसके लिए उक्त फर्म हकदार नहीं थी इसका उद्देश्य उक्त फर्म के साथ पक्षपात करना था और इस प्रकार उन्होंने केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 3(1) (1) का उल्लंघन किया । अतः सी सी एस (पैंशन) नियम, 1972 के नियम 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति का अब उसे अन्यथा स्वीकार्य मासिक पैंशन में 50% कटौती और साथ ही सरकार को देय राशियां, यदि कोई हों, उनकी ग्रेच्युटी से वसूल करने का प्रस्ताव है ।

4 ज्ञापन संख्या सी/13011/1/75-सतर्कता दिनांक 18–5–1985, जिसमें श्री डी० एस० मोरक्मा को प्रस्तावित शास्ति पर कोई अभ्यावेदन देने का अवसर दिया गया था, उन्हें इस पते पर भेजा गया : श्री डी० एस० मोरक्मा, टी/29, एन एंड ओ, रोड नं० 20, बलजीत नगर, नई दिल्ली । यह पत्र बिना डिलीवर किए वापस आ गया जिस पर "पाने वाला भारत छोड़ गया" टिप्पणी थी ।

5. श्री डी० एस० मोरक्मा, उप मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात (सेवा-निवृत्त) को एतद्द्वारा प्रस्तावित शास्ति पर अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाता है परन्तु जांच के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर ही ।

6. उनका अभ्यावेदन भारत के राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के अन्दर पहुंचना चाहिए, अन्यथा एकतरफा कार्रवाई की जाएगी और मामले को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा ।

राष्ट्रपति के नाम पर तथा उनके आदेश से ।

एस० डी० सिंह, अवर सचिव

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 28 अगस्त 1985

सं० 5(12)/84-कम्प्यू०—इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के प्रतिपादनार्थ एक समेकित नीति भारत सरकार द्वारा विचाराधीन थी । राष्ट्रपति जी ने निर्णय लिया है कि इसके प्रथम चरण के रूप में इलेक्ट्रॉनिकी पर समेकित नीति के निम्नलिखित उपाय प्रभावी होंगे :—

1. औद्योगिक लाइसेंसों का "ब्राड बेन्डिंग"

अब से, निम्नांकित के लिए "ब्राड बेंड" लाइसेंस जारी किये जायेंगे, जिससे कि निवेशों का यथेष्ट रूप में उपयोग किया जा सके :—

(i) लघु उद्योग के लिये आरक्षित उपकरणों को छोड़कर मनोरंजन संबंधी इलेक्ट्रॉनिकी उपकरण जिसमें रेडियो रिसीवर, टेप रिकार्डर, टू-इन-वन, प्रवर्धक, रिकार्ड प्लेयर, रिकार्ड चेंजर, ब्लैक एण्ड व्हाइट तथा रंगीन टी०वी० सेट, सी०सी०टी०वी० प्रणालियां—ये सब शामिल हैं ।

(ii) कम्प्यूटर परिधीय उपकरण ।

(iii) लघु उद्योग के लिए आरक्षित उपकरणों को छोड़कर इलेक्ट्रानिकी परीक्षण तथा मापन उपकरण ।

(iv) विविकल सेमीकण्डक्टर युक्तियां ।

2. वी०सी०आर०/वी०सी०पी० व माइक्रोवेव ओवनों के लिये नीति (निकट भविष्य में ही अलग संकल्प जारी किया जायेगा ।)

3. अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी घड़ियां ।

इलेक्ट्रॉनिकी घड़ियों के वर्तमान औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी नीति द्वारा अभी तक अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी घड़ियों का विपणन केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के सार्वजनिक निगमों तक ही सीमित है । परिवर्तित प्रौद्योगिकी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी घड़ियां बहुत सस्ती मिल जाती हैं अतः यह निश्चय किया गया है कि :—

(अ) सेमीकण्डक्टर उद्योग समूह लि० (एस०सी०एल०) को यह अनुमति दी जायेगी कि वह कम कीमत की अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी घड़ियों (डी०ई०डब्ल्यू०) के मोड्यूलों का विनिर्माण करे तथा इन्हें डी०ई० डब्ल्यू०, समुच्चायकों को बेचे, जिनमें शामिल हैं—राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र तथा लघु इकाइयां और साथ-ही-साथ अन्य यूनिटें जो कि यांत्रिक घड़ियां तथा हस्तशिल्प की वस्तुएं आदि बनाती हैं ।

(ब) लघु इकाइयों को कम कीमत की डी०ई०डब्ल्यू० या अन्य डी०ई० डब्ल्यू० मोड्यूलों पर आधारित उत्पादों को सीधा ही बाजार में बेचने की अनुमति दी जाएगी ।

यदि मांग एस०सी०एल० की क्षमता की परिधि से बाहर हो, तो निजी क्षेत्र में एक दूसरी यूनिट को इन मोड्यूलों के विनिर्माण की अनुमति दी जाएगी ।

टिप्पणी—ये नीति संबंधी उपाय इलेक्ट्रॉनिकी राज्य मंत्री द्वारा दिनांक 21 मार्च, 1985 को संसद में घोषित किये गए थे और अन्तरिम रूप से उसी दिन प्रेस नोट के माध्यम से अधिसूचित किये गए थे ।

4. वित्तीय संस्थानों के संसाधनों का उपयोग न करने वाले आवेदकों हेतु पैरा 1(i) में उल्लिखित सभी उपभोक्ता टिकाऊ उत्पादों के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी ।

5. गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता

उपभोक्ताओं की इलेक्ट्रानिकी टिकाऊ वस्तुओं की गुणवत्ता के प्रमाणीकरण के लिए केन्द्र सरकार पर्याप्त सुविधाएं प्रतिष्ठापित करेगी ।

6. उदार संवर्धन

किसी भी नये उत्पाद के लिए औद्योगिक लाइसेंसों को जारी करते समय निकट भविष्य में उसकी अनुमानित मांग और साथ-ही-साथ उसकी तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता को भी ध्यान में रखा जायेगा । सरकार पूंजीगत उपकरणों पर न्यूनतम निवेश के लिए आग्रह करेगी, जिसे कि देश में ही पर्याप्त संवर्धित मूल्यों और प्रौद्योगिकी के आत्मसात करने तथा उसके विकास के प्रति आश्वस्त किया जा सके । न्यूनतम उत्पादन क्षमता पर विशेष आग्रह किया जायेगा । एक बार लाइसेंस जारी किए जाने पर लाइसेंसधारी को उदार संवर्धन विकास की ओर आश्वस्त किया जायेगा ।

7. विनिर्माण के चरणबद्ध कार्यक्रमों के अनुमोदन करने में सरकार इस बात में आश्वस्त होगी कि आयातित सघन-मुद्रण-सर्किट बोर्डों पर निर्भरता को कम किया जाये तथा देश में यथोचित विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जाये ।

8. भारतीय कंपनियां तथा 40 प्रतिशत या उससे कम विदेशी साम्यांश वाली भारतीय कंपनियां किसी भी इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र जो कि संघटित निजी क्षेत्र के लिए मात्र इसलिए खुला है क्योंकि उनमें विदेशी साम्यांश लगा हुआ है—से निष्कासित नहीं किया जा सकता ।

9. एफ०ई०आर०ए० कंपनियां

इलेक्ट्रानिकी संघटक पुर्जों, वस्तुओं तथा अन्य आधुनिकतम उच्च प्रविधियों के क्षेत्र में जहां कि देश अनुसंधान व विकास में पर्याप्त रूप से पूंजी निवेश नहीं कर सका है वहां सरकार विदेशी साम्यांश वाली कंपनियों (अर्थात् वे कंपनियां जहां 40 प्रतिशत से ज्यादा विदेशी साम्यांश है) को इनकी विनिर्माण सुविधा प्रतिष्ठापन के लिए समायुक्त करेगी ।

10. देश में ही एक यथोचित इलेक्ट्रानिकी की क्षमता के संवर्धन के लिए प्रौद्योगिकी के आयात की खुले रूप से अनुमति दी जायेगी । तो भी, उद्योगों को स्वदेशीय प्रौद्योगिकी की क्षमता की प्रतिष्ठापना के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा, जिससे कि प्रौद्योगिकियों के बारम्बार आयात पर निर्भर न रहा जाये ।

11 अवस्थिति

इलेक्ट्रानिकी उद्योग को किसी भी अनुमति प्राप्त स्थान पर प्रतिष्ठापित करने की अनुमति प्रदान की जायेगी । ज्यादातर प्रयास यही किए जाएंगे कि व्यापक स्तर पर पर्वतीय जिलों में इलेक्ट्रानिकी उद्योग का विकास हो ।

12. इस उद्योग को समेकित रूप से आयोजित करने और अपनी विदेशी पूंजी का न्यूनतम अपेक्षय हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए संगठित और लघु उद्योग क्षेत्रों के सभी इलेक्ट्रानिकी विनिर्माताओं से विस्तृत आंकड़े प्राप्त करना आवश्यक है । अतः इस उद्देश्य के लिए अनिवार्यतः एकल अपत्र लागू करने का प्रस्ताव है, जिसे औद्योगिक यूनिटें वर्ष में एक बार इलेक्ट्रोनिकी विभाग को प्रस्तुत करेंगी ।

13. वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रस्तावों की जांच में और अधिक गति लाने के लिए उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे इलेक्ट्रोनिकी के लिए एक अलग प्रकोष्ठ की स्थापना करें और इलेक्ट्रानिकी विभाग की परियोजना मूल्यांकन समितियों में भाग लेने के लिए उन्हें आमंत्रित किया जायेगा ।

14. 19 नवम्बर 1984 को घोषित कम्पयूटर नीति का इलेक्ट्रानिकी विभाग उचित रूप से विस्तार कर उसे इलेक्ट्रानिकी नियंत्रण उपकरण, इन्स्ट्रूमेंटेशन व सिस्टम, औद्योगिक एवं व्यावसायिक इलेक्ट्रानिकी और डाटा संचार उपकरणों पर भी लागू करेगा । इस विषय में अलग से अधिसूचना जारी की जायेगी ।

15. संघटक पुर्जे

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 16 मार्च 1985 को जारी प्रेस नोट द्वारा इलेक्ट्रानिकी संघटक पुर्जों को पहले ही लाईसेंस मुक्त कर दिया गया है । इसे समक्ष रखते हुए संघटक पुर्जों के विनिर्माण के लिए संघटक-पुर्जों का प्रतिस्थापन करने के इच्छुक उद्यमी प्रविधि विकास महानिदेशालय (डी० जी० टी० डी०)/एस० आई० ए० के पास पंजीकरण करा सकते हैं ।

पहले सरकार ने घोषणा की थी कि काफी मात्रा में संघटक पुर्जों का विनिर्माण करने की आवश्यकता है । अतः यह नीति निर्धारित की गई है कि वर्तमान में जो संघटक पुर्जे लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं उनमें से कुछ को अनारक्षित कर दिया जाये ।

17. सामान्यतः मध्यवर्ती स्तर से संघटक पुर्जों के विनिर्माण की अनुमति नहीं है । फिर भी, द्विध्रुवीय, रेखीय और अंकीय एकीकृत परिपथों के मामले में, जिनमें भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, कम-से-कम 5 करोड़ का पूंजी निवेश करने पर शुरुआत के तौर पर उद्योग को मध्यवर्ती स्तर से समुच्चयन की अनुमति प्रदान की जायगी ।

18. संचार

मार्च, 1984 में इलेक्ट्रानिकी के उप मंत्री द्वारा घोषित संचार के क्षेत्र में कुछ उत्पाद समूह को निजि क्षेत्र के लिए खुला रखा गया था । पहले यह निर्धारित किया गया था कि स्विचन प्रणालियों में 49 प्रतिशत से ज्यादा के लिए निजी पार्टियों को अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी, तो भी सरकार की संसाधन सीमाओं को मद्देनजर रखते हुए तथा स्विचन क्षेत्र में उपलब्धता की संभावित कमी को देखते हुए अब यह निर्धारित किया गया है कि दूरमिति विकास केन्द्र (सी० डी० ओ० टी०) द्वारा देशीय प्रौद्योगिकी का विकास करने एक हुए इलेक्ट्रानिकी स्विचन प्रणाली की (ई० एस० एस०) फैक्ट्री प्रतिष्ठापित की जाए । इस औद्योगिक प्रयास में सरकार का निवेश 26 प्रतिशत सीमित रहेगा, निजी उद्योग की पार्टियों को 25 प्रतिशत का आफर किया जायगा तथा 49 प्रतिशत सामान्य जनता के लिए खुला रखा जायगा ।

19. अनुसंधान तथा विकास

आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमारा इलेक्ट्रानिकी उद्योग आज की स्थिति की तरह अधिकतर विदेशी प्रौद्योगिकी पर आश्रित न रहे इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने अनेक प्रमुख अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम को हाथ में लिया है । केन्द्र सरकार ने दूरमिति विकास केन्द्र की स्थापना की है और यह राष्ट्रीय रेडार परिषद के माध्यम से अनुसंधान को प्रोत्साहित कर रही है और अपनी प्रौद्योगिकी विकास परिषद के जरिए यह शैक्षिक संस्थानों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के उद्यमों को अनुसंधान के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कर रही है । सरकार ने अभी हाल में राष्ट्रीय माइक्रो इलेक्ट्रानिकी परिषद की स्थापना की घोषणा की है तथा इलेक्ट्रानिकी के लिए सामग्री विकास केन्द्र की स्थापना करने का भी निश्चय किया गया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेजी जाये :—

1. राष्ट्रपति का सचिवालय ।
2. प्रधानमंत्री का कार्यालय ।
3. मंत्रिमंडल सचिवालय ।
4. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
5. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ।
6. सभी राज्य सरकारों व संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव ।
7. अध्यक्ष, उत्पादन और सीमाशुल्क का केन्द्रीय बोर्ड ।
8. आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक ।

9. तकनीकी विकास महानिदेशालय ।

10. भारतीय राजदूतावासों के विज्ञान परामर्शदाता ।

11. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिकी के राज्य मंत्री ।

12. अध्यक्ष, इलेक्ट्रानिकी आयोग ।

13. सचिव, इलेक्ट्रानिकी विभाग ।

14. इलेक्ट्रानिकी विभाग के सभी संभाग/अनुभाग ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

सं० 5(12)/84-कंप्यू०—कम्प्यूटरों और कम्प्यूटर आधारित प्रणालियों के विनिर्माण, आयात और निर्यात के लिए प्रचलित वर्तमान नीति की समीक्षा का प्रश्न भारत सरकार द्वारा विचाराधीन था । इस दिशा में पहले कदम के तौर पर राष्ट्रपति जी ने यह निर्यात निर्णय लिया है कि कम्प्यूटरों तथा कम्प्यूटर आधारित प्रणालियों के विनिर्माण, आयात व निर्यात के लिये नीतियों तथा कार्यविधियों में निम्नलिखित संशोधन किए जाए :—

निम्नांकित बुनियादी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ये व्यापक संशोधन किए गए हैं :—

(1) नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित कम्प्यूटरों का देश में ही विनिर्माण अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर उनके तुलनात्मक मूल्यों का निर्धारण तथा वित्तीय व्यवहार्यताओं को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें देश में काफी मात्रा में उपलब्ध करवाना ।

(2) वित्तीय पहलुओं पर मुख्यतः निगरानी रखते हुए प्रचलित कार्य विधि को सरल बनाना जिससे प्रयोक्ता देश में ही यह विदेशों से अपनी जरूरतों के अनुसार कम्प्यूटरों को उपलब्ध कर सके ।

(3) राष्ट्रीय स्तर पर कम्प्यूटर के क्षेत्र में दीर्घकालीन लाभों को सदैव रखते हुए उनके समुन्नत अनुप्रयोगों का संवर्धन करना ।

निम्नांकित संशोधित नीति तथा कार्यविधि कंप्यूटरों तथा उनसे संबंधित उप प्रणालियों यथा परिधीय उपकरणों यंत्रेतर सामग्री और कंप्यूटर आधारित प्रणालियों को लेकर बनाई गई है और उसमें कंप्यूटर एक प्रधानतः उप-प्रणाली है ।

(क) विनिर्माण

1. विनिर्माण संबंधी सभी नियमन कार्यकलाप यथा आशय पत्रों की जांच, औद्योगिक लाईसेंस, विदेशी सहयोग चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पी० एम० पी०) व सी० जी० और कच्चे माल का आयात आदि इलेक्ट्रानिकी विभाग के अन्तर्गत वर्तमान अन्तः मंत्रिमंडलीय स्थायी समिति द्वारा सम्पन्न होंगे जिसे यह प्रमुख कार्य सौंपा गया है। इलेक्ट्रानिकी विभाग के अधीन कार्यरत कंप्यूटर कंप्यूटर-संचार तथा उपकरण विंग (सी० सी० आई० विंग) इस समिति का "सचिवालय" के रूप में काय करता रहेगा । इलेक्ट्रानिकी विभाग के अधीन सी० सी आई० विंग को सीधी तौर पर सभी आवेदन भेजे जायें ।

2. सूक्ष्म/लघु कंप्यूटरों तथा निजी कंप्यूटर और बी० एल० एस० आई० आधारित लघु कंप्यूटर इनमें 32 बिट चियों या समसंख्यक वाले भी (32 या अधिक बिटों वाले सुपर मिनी मेनफ्रेम संरचना वालों को छोड़कर) शामिल है, का विनिर्माण किसी भी भारतीय कंपनी द्वारा स्वीकृत है अर्थात पूर्णतः भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियों और वे निजी या सरकारी क्षेत्र की कंपनियां जिनमें चालीस प्रतिशत से ज्यादा विदेशी साम्यांश (इक्विटी) न हो ।

टिप्पणी : इन नीति संबंधी उपायों को दिनांक 19 नवम्बर, 1984 के एक प्रेस नोट के माध्यम से अन्तरिम रूप में अधिसूचित किया गया था ।

3. सी० पी० यू० के मेनफ्रेमों और सुपर मिनी कंप्यूटरों का विनिर्माण दो वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र द्वारा आरक्षित रहेगा । कंप्यूटरों की मिनि फ्रेम श्रेणी और सुपर मिनि कंप्यूटरों को सुनिश्चित परिभाषा समय-समय पर इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा दी जायेगी ।

4 इस नीति में संबंधित वस्तुओं को शामिल करने के लिए "कंप्यूटर और कंप्यूटर आधारित प्रणालियों" का एक नया वर्गीकरण बनाया जाएगा । नए उद्योगों में व्ययगत छूट तथा अन्य प्रोत्साहन इस नए वर्गीकरण को भी उपलब्ध रहेंगे । यंत्रेतर सामग्री के विकास और विनिर्माण को "उद्योग" नाम से अभिहित किया गया है । महत्वपूर्ण उच्च प्रौद्योगिकी की वजह से अवस्थिति संबंधी नीति की सीमाओं से इस उद्योग को छूट रहेगी ।

5. प्रतिवर्ष दो करोड़ रुपये मूल्य के कुल उत्पादन तीन लाख रुपये के नीचे प्रतिवर्ष पांच करोड़ प्रणालियों की प्रचलित क्षमता के संघटित क्षेत्रों पर के प्रतिबंध हटा दिये जाएंगे ।

चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम और एक व्यावहार्य क्षमता की न्यूनतम आवश्यकताओं को छोड़कर प्रतिबंध हटाते हुए सूक्ष्म तथा लघु कंप्यूटर प्रणालियों के विनिर्माण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी जिस से उच्च-देशीयकरण के साथ विनिर्माण की संपन्नता होगी और यह आर्थिक पहलुओं पर व्यावहार्य होगा । आई० एम० एस० सी०, के जरिए इलेक्ट्रानिकी विभाग पी० एम० पी० के आर्थिक दृष्टि से व्यावहार्य देशीयकरण तथा प्रौद्योगिकी को प्रभावी ढंग से आधुनिक बनाने की अगतिविधियों को सुनिश्चित करेगा ।

6. मूलभूत उपकरणों के विनिर्माण आधार पर सी० पी० यू० परिधि उपकरण तथा अन्य उप-प्रणालियों को प्रदान करने वाली कंपनियों को उदारता दी जायेगी तथा यथोचित मुआवजा देते हुए उत्पाद शुल्क को अपेक्षाकृत कम ही रखा जायेगा ।

7. सरकारी उद्यमों को मूल्यगत खरीद की वरीयता तथा सरकारी क्षेत्रों की सुविधा आदि इस क्षेत्र पर लागू वर्तमान सरकारी नीतियों के अनुसार ही मिलती रहेंगी ।

8. इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा स्वीकृत अनुसंधान व विकास एककों के लिए अभिकल्पों तथा आलेखों को ओ० जी० एल० पर ही स्वीकार किया जायेगा ।

9. प्रारंभ में विनिर्माण के लिए अभिकल्पों तथा आलेखों, प्रणाली यंत्रेतर सामग्री तथा प्रयोज्य यंत्रेतर सामग्री के आयात को काफी उदारता से स्वीकृत किया जायेगा और बाद में इसे पी० एम० पी० व कच्चे माल की निकासी के नियमों द्वारा नियमित किया जायेगा । ऐसे आयातों के लिए सभी आवेदन इलेक्ट्रानिकी विभाग के सी० सी० आई० विंग को भेजे जायें तथा आई० एम० सी० इनकी जांच करेगा । आई० एम० एस सी० के माध्यम से इलेक्ट्रानिकी विभाग कुछ एल० एस० आई०/बी० एल० एस० आई० चिपों तथा परिधीय उपकरणों के बारे में मानकीकरण के संवर्धन के लिए यथोचित कदम उठाएगा और देश में ही उत्पादों को यथोचित रूप में दृष्टिगत रख कर यह कार्य किया जायेगा ।

11. जहां कहीं भी यंत्रेतर सामग्री के आधार पर आयात का सवाल है वह प्रधानतः "सोर्स कोड" के रूप में होगी । "सोर्स कोड" की केन्द्रीय खरीद और देश में ही वितरण को विशेषतः प्रोत्साहित किया जायेगा ।

12. अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी मूल्यों पर अन्तिम उत्पाद के विनिर्माण के लिए यह आवश्यक है कि विनिर्माताओं को संघटक पुर्जे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के निकटतम मूल्यों पर अधिगत हो सकें । समय समय पर इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा संघटक पुर्जों के शुल्क के बारे में निर्दिष्ट सिद्धान्तों पर सिफारिश की जायगी । वे सिद्धान्त हैं : ऐसे संघटक पुर्जे जोकि देश में विनिर्मित नहीं हो रहें हैं और जिनका निकट भविष्य में विनिर्माण असम्भव है उन्हें पहिचाना जायेगा और उन्हें कम आयात शुल्क पर आयातित किया जाएगा । देश में ही बनने वाले अन्य संघटक पुर्जों और निकट भविष्य में ही बनने वाले संघटक पुर्जों के लिए आंशिक स्तर के सुलाभ देते हुए उदारता पूर्वक विनिर्माण सुविधाएं स्वीकृत की जाएंगी । ऐसे संघटक पुर्जों को पर्याप्ततः उच्च संरक्षी-शुल्क की वजह से आयातित नहीं किया जायेगा । इलेक्ट्रॉनिकी विभाग समय समय पर वित्त मंत्रालय को इन शुल्क अवसंरचनाओं के बारे में अपनी सिफारिशें पेश करेगा ।

13. विनिर्माताओं के लिए वस्तुतः प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल और संघटक पुर्जों की आयात कार्यविधि को सरल और शीघ्र बनाया

जायेगा । इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में आयात आवेदनों के पंजीकरण के एक निश्चित अवधि के बाद आई० एम० एस० सी० कच्चे माल की उपलब्धता को नियंत्रित करेगा जो कि देश में आवेदन के पंजीकरण के दो माह के अन्दर अपना निर्णय देगी ।

14. आई० एम० एस० सी० के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा संस्तुत वित्तीय युक्तियों तथा उच्च संरक्षी आयात शुल्क के विभिन्न स्तरों के जरिए देश में ही निर्मित कंप्यूटरों को आयात से संरक्षित रखा जाएगा । वित्त मंत्रालय को आयात शुल्क में कमी करने के लिए संस्तुतियां प्रस्तुत की जाएगी, जिससे कि देशीय विनिर्माण की लागत में कमी आ सके ।

15. देशीय विनिर्माताओं को आपस के प्रतियोगी स्तरों पर लाने के लिए आई० एस० सी० के जरिय इलेक्ट्रॉनिकी विभाग कार्यविधियों को निष्पन्न करेगा । यह प्रक्रिया शैक्षिक संस्थानों अनुसंधानों व विकास संघटनों द्वारा संपन्न होगी । जहां कंप्यूटरों के सीधे आयात पर आयात शुल्क नहीं लगता ।

16. आई० एम० एस० सी० के जरिये इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर यदि कोई पार्टी प्रभावी कदम नहीं उठाती तो उसका अनुमोदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा ।

17. सभी स्थानीय विनिर्माताओं को 1986 से आगे अपने विनिर्मित कंप्यूटरों में द्विभाषिक (हिन्दी और अंग्रेजी) आगम-निर्गम सुविधा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा जिससे कि राजभाषा अधिनियम के अन्तर्गत हिन्दी का प्रयोग करने वाले विनिर्माताओं की मांग को पूरा किया जा सके ।

18. बिना किसी अनुचित स्कावट के किसी सामाजिक या आर्थिक क्षेत्र में सरकारी और निजी क्षेत्र के अन्तर्गत प्रणाली इंजीनियरी कंपनियों को प्रतिष्ठापित करके कंप्यूटर अनुप्रयोगों को संवर्धित किया जाता रहेगा और यह तब तक रहेगा जब तक देशीय संसाधनों से कंप्यूटरों और कंप्यूटर उप-प्रणालियों को लाया जाता है ।

19. उपर्युक्त नीति संरचना के परिवेश में आई० एम० एस० सी० के जरिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा समय-समय पर कार्याविधियों के समस्त ब्यौरे बनाए जाएंगे । आई० एम० एस० सी० के जरिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग को समय-समय पर कार्यविधि और नीतियों को व्याख्यायित करने और उनके कार्यन्वयन के परिचालनार्थ अधिकार भी प्रदान किए गए हैं ।

(ख) आयात

1. क(1) में उल्लिखित इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अन्तर्गत वही अन्त मंत्रिमंडलीय स्थाई समिति (आई० एम० एस० सी० कंप्यूटरों) के आयात के आवेदनों और साथ ही यंत्रेतर सामग्री के निर्यात को सुकरता प्रदान करने के लिए आयात की भी जांच करेगा । इस कार्य के उद्देश्य के लिए आई० एम० एस० सी० वाणिज्य मंत्रालय के एक प्रतिनिधि को एक सदस्य के रूप में लेगी – इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की सी० सी० आई० विंग को सीधे ही सभी आवेदन भेजे जाएं ।

2. कंप्यूटरों, कंप्यूटरों पर आधारित प्रणाली और कंप्यूटर उप-प्रणालियों तथा एक आयातित सी० पी० यू० के साथ जोड़ने के लिए परिविधि उपकरणों से आयात को केवल वास्तविक अंतिम प्रयोक्ताओं के लिए ही स्वीकृत किया जायगा ।

3. देशीय विनिर्माण में उदार गतिविधियों को अपनाते हुए देशीय कंप्यूटर आयातित कंप्यूटरों की प्रतिस्पर्धा में प्रभावशाली ढंग से समर्थ होंगे, जिन पर पर्याप्ततः उच्चसंरक्षी आयात शुल्क लगाया जायेगा । वास्तविक प्रयोक्ता को पर्याप्ततः उच्च संरक्षी शुल्क अदा करते हुए उदार प्रक्रियाओं के आधार पर सम्पूर्ण प्रणालियों के रूप में दस लाख रुपए सी० आई० एफ० से कम लागत की मानकीकृत ई० डी० पी० प्रणालियों के आयात की करने की स्वीकृति प्रदान की जायगी । यह एक अप्रैल 1985 से प्रभावी होगा जब की शुल्क दर भी घोषित की जायेगी ।

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग समय-समय पर ऐसे आयातों पर पर्याप्ततः कम-स्तरों के शुल्क की सिफारिश पेश करेगा जिससे की समतुल्य आयातित प्रणालियों के संदर्भ में स्थानीय विनिर्माण अधिक प्रतिस्पर्धा बन सके ।

4 कंप्यूटरों और प्रधानतः कंप्यूटर आधारित प्रणालियों, जिनकी लागत दस लाख रुपए सी० आई० एफ० से ज्यादा है, के आयात के लिए वास्तविक प्रयोक्ता को इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में आवेदन करना होगा जो कि आवेदनों की वांछनीयता, अनिवार्यता तथा देशीय उपलब्धता की दृष्टि से आवेदनों की जांच करेगा । यदि कंप्यूटर का प्रयोग वांछनीय है तो तथा देश में वह अनुपलब्ध है तो मानकीकृत सूची में कम स्तर के शुल्क पर प्रयोक्ता को आयात करने की स्वीकृति प्रदान की जायेगी और यह सूची समय-समय पर इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा घोषित की जायगी । इस सूची में 12 से 18 माडलों को लिया जायगा और समय-समय पर इसे अद्यतन रखा जाएगा । मानकीकृत सूची का अनुरक्षण अधिक परिमाण की खरीद की उपयोगिता के लिए किया जाएगा तथा इससे यंत्रेतर सामग्री के विनिमय तथा रख रखाव की सुविधा होगी । अधिक परिणाम में खरीद के लिए विदेशी मुद्रा में भारी बचाव की उपयोगिता को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग मानकीकृत सूची के मॉडलों के विक्रेताओं के साथ सौदा करेगा और एक नियत अवधि के लिए जहां संभव हो दर संबंधी संविदा भी निष्पन्न करेगा ।

5. जहां कंप्यूटरों या कंप्यूटर उप-प्रणालियों के आयात की संगत औचित्यपूर्ण खरीद के रूप में जरूरत है या कोई विशेष उद्देश्य वाला कंप्यूटर देशीय संसाधनों से उपलब्ध नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की स्वीकृति अनिवार्य है । तब कम स्तर पर शुल्क लगेगा ।

6. उपर्युक्त (4) व (5) के तहत इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा स्वीकृति मिलने पर प्रयोक्ता सीधे ही बात-चीत करने के लिए स्वतंत्र है और वह आगे प्राप्ति की सभी कार्यवाही करेगा ।

7. अगर किसी यथोचित हेतु पर प्रयोक्ता कंप्यूटर की वास्तविक खरीद के इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की सहायता चाहता है तो इसे इस कार्य के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग से संपर्क करना होगा तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग से एक यथोचित समझौता करना होगा कि कैसे कंप्यूटर की प्राप्ति हो ।

8. देश में ही वाणिज्यिकी स्तर पर अनुप्रयोग-गत यंत्रेतर सामग्री की उपलब्धता न होने पर वास्तविक प्रयोक्ता के लिए कम स्तर के शुल्क पर आयात करने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी और इलेक्ट्रॉनिकी विभाग प्रत्येक मामले की पड़ताल करके यह कार्य संपन्न करेगा । वास्तविक प्रयोक्ता पर्याप्ततः उच्च संरक्षी शुल्क वाली किसी यंत्रेतर सामग्री के लिए ओ० जी० एल० सुविधा प्राप्त कर सकता है और उसे पहिले लिखित रूप में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग को सूचित करना होगा । इसके अतिरिक्त, जहां संभव हो इलेक्ट्रॉनिकी विभाग यंत्रेतर सामग्री के केन्द्रीय आयात की व्यवस्था करेगा, जो कि विनिर्माताओं और प्रयोक्ताओं को "बिना लाभ व हानि आधार" पर वितरित की जायेगी ।

9. आयातित कंप्यूटरों तथा मुख्यतः कंप्यूटर आधारित आयातित प्रणालियों का रख-रखाव देशीय वास्तविक प्रयोक्ता या सी० एम० सी० लिमि० या इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा निर्धारित किसी एजेंसी द्वारा संपन्न होगा । आयातित कंप्यूटर प्रणालियों के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा निर्धारित एजेंसी या सी० एम० सी० या प्रयोक्ता को वारंटी के अनुरक्षणार्थ अतिरिक्त पुर्जे औजार, परीक्षण उपकरण के आयात के लिए स्वीकृति प्रदान की जायेगी और यह अगर जरूरत हो तो सी० सी० पी० लाईसेंस के आधार पर होगी ।

10. आई० एम० एस० सी० के जरिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा विभाग के सी० सी० आई० विंग के आवेदन पत्र के पंजीकरण के दो माह के भीतर सभी आयात आवेदन पत्रों पर कार्यवाही होगी । ये आवेदन पत्र समय-समय पर अधिसूचित प्रोफार्मा के अनुसार भरे होने चाहिए ।

11. सभी वास्तविक प्रयोक्ताओं, जिन्होंने कंप्यूटरों का आयात किया है या देशीय कंप्यूटरों को खरीदा है और जिन्हें राजभाषा अधिनियम के तहत हिन्दी का प्रयोग करना है, उन्हें अंग्रेजी के अतिरिक्त देवनागरी में डाटा के आगम-निर्गम के संसाधन के लिए प्रणाली के प्रतिष्टापन के दो वर्ष के भीतर या इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख के दो वर्ष के भीतर (इनमें से जो भी पहले हो) अपनी कंप्यूटर सुविधा को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा ।

12. उपर्युक्त नीति-संरचना के परिवेश में आई० एम० एस० सी० के जरिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा समय-समय पर कार्यविधियों के समस्त ब्यौरे बनाए जायेंगे । आई० एम० एस० सी० के जरिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग को कार्यविधियों और नीतियों को समय समय पर व्याख्यायित करने और उनके कार्यान्वयन परिचालनार्थ अधिकार भी प्रदान किए गए हैं ।

(ग) यंत्रेतर सामग्री का विकास एवं निर्यात

1. इलेक्ट्रॉनिकी विभाग व्यापक तौर पर अनुसंधान अभिकल्पन और विकास सुविधा प्रतिष्टापित करेगा । इस संघटन को मात्र देशीय प्रयासों के जरिए जानकारी विकसित करने के लिए ही प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा बल्कि जहां कहीं भी हो केन्द्रित आधार पर जानकारी को आयात और उसे आत्मसात करने और लगातार इस जानकारी में सुधार के लिए भी प्रोत्साहित किया जायगा । यह संघटन जानकारी की एक मानकीकृत सूची बनाएगा, जिससे कि यह इच्छुक प्रयोक्ताओं और उद्यमकर्ताओं को उपलब्ध हो सके ।

2. इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा एक यंत्रतत सामग्री संवर्धन एजेंसी प्रतिष्ठापित करेगा । जिससे कि निर्यात और स्थानीय आवश्यकताओं तथा एक एकीकृत प्रयास के रूप में आयात स्थानापन्न के लिए व्यापक यंत्रेतर-सामग्री के प्रयासों एवं जनशक्ति के विकासार्थ एक प्रेरक शक्ति हासिल हो ।

3. अविच्छिन्त आधार पर प्रभावी यंत्रतर-सामग्री का निर्यात सभी प्रभावशाली ढंग से कार्य करता रहेगा यदि समग्र यंत्रेतर-सामग्री संवर्धन योजना के एक भाग के रूप में निर्यात तथा आंतरिक जरूरतों, जिनमें आयात स्थापन्न भी शामिल है, को लेकर इसे आयोजित किया जाय । इसके अलावा, यंत्रेतर-सामग्री के विकास का आयोजन यंत्रेतर-सामग्री के विकास तथा प्रणाली इंजीनियरी की योजना के साथ संलग्न है । जनवरी, 1982 की यंत्रेतर-सामग्री निर्यात संवर्धन नीति लागू रहेगी परन्तु उसमें निम्नांकित संशोधन होंगे :—

(1) अब तक 100 प्रतिशत निर्यात योजनाओं की सामान्य अवसंरचना कंप्यूटर वस्तुओं पर प्रयोग में लाई जाती रहेगी ।

(2) श्रेणी "ए" व "बी" योजना आयात-निर्यात नीति अप्रैल, 1984 मार्च, 1985, भाग-1 अध्याय–5, पैरा-22 में निर्दिष्ट रूप में संशोधित कर दी गई है ।

(3) वर्तमान यंत्रेतर-सामग्री निर्यात योजना में श्रेणी "सी" निम्नांकित अतिरिक्त प्रावधानों को छोड़कर प्रचलित आधार पर ही चलती रहेगी :–

(अ) निर्यातकों को निम्नांकित दो विकल्प मिलेंगे ।

(1) सीमा-शुल्क बांडिंग को लेकर या तो पूरे शुल्क की छूट ।

(2) या सीमा-शुल्क बांडिंग को छोड़कर शुल्क की अदायगी ।

(3) निर्यात उपार्जन का 50 प्रतिशत श्रेणी "ए" व "बी" को उपलब्ध आधार पर ही निर्यातक को मिलता रहेगा ।

(स) 100 प्रतिशत यंत्रेतर-सामग्री निर्यात योजना के तहत उपलब्ध सभी सुविधाएं और प्रोत्साहन श्रेणी "सी" को भी मिलेंगे ।

(4) यंत्रेतर-सामग्री निर्यात विदेशी कंप्यूटरों के साथ उपग्रहों पर आधारित डाटा लिंकों के जरिए भी संवर्धित किए जाएंगे । इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा संचार मंत्रालय/डाक तार विभाग समन्वय स्थापित कर यह कार्य संपन्न किया जायगा ।

(5) राष्ट्रीय कंप्यूटर नेट वर्क, इण्डोनेट प्रधानतः सरकारी व निजी क्षेत्रों के उद्यमों से यंत्रेतर-सामग्री संवर्धनार्थ उपलब्ध होगा, लघु क्षेत्र में यंत्रेतर-सामग्री केन्द्रों पर इस दिशा में विशेष ध्यान दिया जायगा ।

(6) किसी भी यंत्रेतर-सामग्री निर्यात योजना के अन्तर्गत कंप्यूटरों के आयात के लिए एक विशेष कम शुल्क की सुविधा प्रदान की जायगी ।

(घ) कार्यान्वयन

1. उपर्युक्त निर्दिष्ट संशोधित नीतियां और कार्यविधियां तुरन्त ही इस प्रेस नोट की जारी होने वाली तारीख से ही प्रभावी हो जाएगी ।

2. उपर्युक्त खं (3) में उल्लिखित आधार पर कंप्यूटरों का आयात अप्रैल, 1985 मार्च, 1986 की अवधि के लिए आयात-निर्यात नीति की घोषणा होने पर लागू हो जाएगा ।

3. वित्त मंत्रालय से अगले नोटिस होने पर विशेष शुल्क स्तरों से संबंधित अधिसूचनाएं उनके द्वारा अलग से जारी की जायेंगी ।

4. उपर्युक्त निर्दिष्ट नीतियों और कार्यविधियों द्वारा नियमित सभी मामले जिन पर किसी विशेष आधार के अन्तर्गत विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा अधिसूचनाएं जारी होनी है, उन्हें वर्तमान नीतियों और कार्यविधियों के अनुसार अंतरिम रूप में इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा निष्पन्न किया जायेगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेजी जाये :—

1. राष्ट्रपति का सचिवालय ।
2. प्रधानमंत्री का कार्यालय ।
3. मंत्रिमण्डल सचिवालय ।
4. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
5. भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक ।
6. सभी राज्य सरकारों व संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव ।
7. अध्यक्ष, उत्पाद और सीमाशुल्क का केन्द्रीय बोर्ड ।
8. आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक ।
9. तकनीकी विकास महानिदेशालय ।
10. भारतीय राजदूतावासों के विज्ञान परामर्शदाता ।
11. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिकी के राज्य मंत्री ।
12. अध्यक्ष, इलेक्ट्रानिकी आयोग ।
13. सचिव, इलेक्ट्रानिकी विभाग ।
14. इलेक्ट्रानिकी विभाग के सभी संभाग/अनुभाग ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

न० शेषगिरि, अपर सचिव

CABINET SECRETARIAT

RESOLUTION

New Delhi, the 8th August 1985

No. A-11013|8|85-Ad|1.—The Government have decided to set up a Commission for continuing studies on the effects on life systems of toxic gas leakage at Bhopal during the night of December 2|3, 1984. The Commission shall be responsible for :

(i) Collecting further information, in addition to the observations already made on human, animal and plant life systems, affected by toxic gas leakage at Bhopal;

(ii) Further analysing observations already, made and preparing authentic version of initial effects;

(iii) Collecting information on therapy and remedial measures administered in the initial stages and for evaluating the relative effectiveness of different measures with a view to suggest remedial action;

(iv) Instituting and supporting specific investigations by nominated investigators and groups on human, animal, as also on plant life affected;

(v) Initiating specific studies on simulation of effects of toxic gas on animal and plant systems and obtaining observations on long term effects and for preparing valid mechanisms for such effects;

(iv) Instituting long term observations on those affected over a sustained period of two years and for advising on therapeutic and remedial measures and on occupational problems of those affected;

(vii) Studying progeny of those affected;

(viii) Making periodic reports to Government on the progress and results of observations and investigations;

(ix) Seeking and obtaining appropriate assistance and cooperation from scientists and agencies without prejudice to national, social and legal aspects to promote the quality and speed of scientific investigations;

(x) Continuing studies of environmental aspects such as effect of the leakage of gas on water, air, etc.;

(xi) Taking such other measures and actions as may be considered necessary to achieve the objectives of establishing scientific basis and which should be of value in minimising short and long term effects of the toxic and related materials in future to living systems.

Composition

2. The Commission shall comprise the following :

Chairman (full-time)

1. Dr. C. R. Krishna Murti

Member (part-time)

2. Prof. M. M. Sharma.
3. Dr. M. G. Deo.
4. Prof. J. S. Guleria.
5. Dr. G. K. Mehta.

3. The Commission may utilise the expertise and services of institutions and scientific groups to whom it may assign specific roles and responsibilities; such observations and results obtained by investigators will be provided in confidence to the Commission.

4. The Commission will be placed under the Cabinet Secretariat. The headquarters of the Commission will be at Delhi.

5. The term of the Commission will be for two years.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to the Ministries|Departments of the Government of India and all others concerned.

ANIL KUMAR, Jt. Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM

New Delhi, the 9th July 1985

RESOLUTION

No. J-13013|2|85-GEN.—On the expiry of the its present term, the Committee on Environmental Planning and Coordination for the Ministry of Petroleum has been reconstituted as under :—

Chairman

1. Dr. Nilay Chaudhuri, Chairman, Central Board for the Prevention and Control of Water Pollution, New Delhi.

Members

2. Dr. P. K. Ray, Director, Industrial Toxicology Research, Centre, Lucknow.
3. Dr. C. K. Varshney, Associate Professor, School of Environmental Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi.
4. Dr. A. K. Ganguly, Visiting Professor, Bhaba Atomic Research Centre, Bombay.
5. Shri Shyam Chainani, Hony. Secretary, Bombay Environment Action Group, Bombay.
6. Shri T. R. Saranathan, C|o Bhaba Atomic Research Centre, Bombay. (Secretary of the Clean Environment Society)
7. National Environmental Engineering, Research Institute, Nagpur.
8. Shri D. K. Biswas, Director, Department of Environment, New Delhi.
9. Shri S. K. Das, Director General of Meteorology, New Delhi.
10. Professor A. R. Zafar, Professor of Botany—Osmania University, Hyderabad-500007.

Chairman

11. Advisory Board on Energy, New Delhi.

2. Secretary, Joint Secretaries and Advisers in the Ministry of Petroleum will be permanent invitees to the Committee Meetings. The Convenor may also invite any other persons to attend the meeting of the Committee or to assist the Committee.

3. The terms of reference of the Committee will be as under :—

"Advise on all aspects of Environmental Planning for Schemes and Programmes of the Ministry of Petroleum".

4. No remuneration will be paid to the members of the Committee. However, the expenditure on TA|DA of the non-official members will be met by the Government of India. TA|DA on Government Officials|representatives of Central Public Sector Undertakings will be met by the concerned Departments|Undertakings. The expenditure on the Committee will be borne by the Oil Industry Development Board.

5. The term of the Committee will be for a period of 2 years, from 26-6-1985. The Committee shall meet as often as necessary and will make suitable recommendations to the Government in the Ministry of Petroleum from time to time

6. The Secretarial assistance required for the Committee will be provided by the Ministry of Petroleum.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats and the concerned Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

T. N. R. RAO, Jt. Secy.

New Delhi, the 7th August 1985

ORDER

Subject : Grant of Petroleum Exploration Licence for AN-19 and AN-27 structures of Andaman off-shore area measuring 200 sq. kms.

No. O-12012/19/85-ONGD.4.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehradun (hereinafter referred to as Commission) a Petroleum Exploration Licence to Prospect for Petroleum for four years from the date of issue of this order for AN-19 and AN-27 Structures of Andaman on-shore area measuring 200 sq. kms., the particulars of which are given in Schedule 'A'.

The Grant of licence is subject to the terms and conditions mentioned below :

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged.

(i) Rs. 61|- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay & Accounts officer, Ministry of Petroleum, New Delhi.

(d) The Commission shall, within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil casing head condensate and natural gas obtained during the proceeding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 6000|- as security as required by rule 11 of the PNG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square Kilometer or part thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4|- for the first year of the licence;

(ii) Rs. 20|- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 100|- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 200|- for the fourth year of the licence;

(v) Rs. 300|- for the first and second year of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to Central government confidentially a full report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and|or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and|or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to off-shore areas as approved by the Central Government.

(l) The Commission should render, Bathymetric bottom samples, Current and magnetic data collected during the drilling|exploration operation|survey, to Ministry of Defence Naval Headquarters in the usual manner.

(m) ONGC ensure security of Oceanographic data.

(n) The entire data is processed in India.

(o) Copies of the data collected by ONGC in this area is made available *free of cost* of Ministry of Defence| Chief Hydro.

(p) Foreign Vessels if deployed for survey, are to undergo naval security inspections by a team of Indian Navy Specialists officers prior to deployment. Adequate notice about the arrival of such vessel in India is to be given to facilitate deputation of the Inspection team.

(q) The data of commencement|cessation of survey be intimated to facilitate future operational planning.

Coordinates of P.E.I. for AN-19 and AN-27 structure of Andaman offshore area measuring 200 Sq. kms.

1. Structure : AN-19 an AN-27

2. PEL area : 200 sq. kms.

Geological coordinates of PEL area.

3. Point L
Lat. 11° 53' 20.7"
Long 93° 05' 26.9"

4. Point M
Lat. 11° 53' 18.6"
Long 93° 11' 02.1"

5. Point N
Lat. 11° 47' 35.2"
Long 93° 11' 08.3"

6. Point O
Lat. 11° 45' 33.1"
Long 93° 07' 22.7"

7. Point P
Lat. 11° 36' 41.4"
Long 93° 06' 39.3"

8. Point Q
Lat. 11° 36' 41.4"
Long 93° 04' 33.1"

9. Approximate distance of farthest point from the prominent places of land are as follows :

(i) Port Blair
54 kms.

(ii) Neil
22.5 kms.

(iii) Havelock
31 kms.

10. Average approximate depth of superjacent water in the area :

Less than 100-400 m

11. Likely date of Spudding : 1*st December* 1985.

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof.

Petroleum Exploration Licence for

Area

Month and Year

A. Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

B. Casing Head Condensate

Total number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

C. Natural Gas

Total number of cubic metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri _____ do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

(Signature)

By order in the name of the President of India,

P. K. RAJAGOPALAN, Desk Officer

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 24th June 1985

RESOLUTION

No. A-17011/6/85-MH(MS).—It has been decided by the Government of India to constitute a Committee consisting of the following officers to review the existing standards of physical fitness required for entry into Government service :—

Chairman

1. Dr. S. N. Mukherjee, Addl. D.G.

Members

2. Dr. A. K. Bhattacharya, DDG(M).
3. Director General of Civil Aviation or his representative.
4. Advisor (Ophthalmology).
5. Joint Secretary, Deptt. of Personnel and Training.
6. Member, Railway Board or his representative.
7. Joint Secretary, Ministry of Agriculture or his representative.
8. Shri P. R. Dasgupta, Joint Secretary, Ministry of Health & Family Welfare.
9. Dr. B. P. Yadav, Consultant in Rehabilitation, Safdarjung Hospital.
10. Dr. S. M. Singh, Consultant in Surgery, Safdarjung Hospital.
11. Dr. V. P. Gupta, Consultant in Medicine, Safdarjung Hospital.

12. Dr. P. D. Nigam, Sr. Cordologist, Dr. R.M.L. Hospital.

(Member-Secretary)

13. Dr. G. H. Gidwani, ADG(M).

2. The terms of reference of the Committee are to review the existing rules for medical fitness of government employees under the Central Government.

3. The Committee will submit its report within a period of 6 months from the date of its constitution.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all the members of the Committee, Dte. G.H.S., New Delhi, President Secretariat|Prime Minister's Office|Lok Sabha Sectt.|Rajya Sabha Sectt.|Delhi Administration|All Ministries| Departments of Government of India and C & A.G,. New Delhi.

The Ministries concerned with various services may kindly give their comments in respect of special job, if any. The information should reach Dr. G H. Gidwani, ADG(M), Dte. G.H.S., New Delhi by 31-8-1985 at the latest. In case no information is received it is presumed that they have no comments.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Kum. G. CINTURY, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi-110001, the 6th August 1985

RESOLUTION

No. 16-25|80-DE.—The Government of India have decided that the National Dairy Development Board will henceforth also function as the National Committee under the auspices of the International Dairy Federation. The National Dairy Development Board may coopt a few other persons who may be technical and scientific persons or otherwise well known in the field of dairying.

2. Additional Secretary, National Dairy Development Board, New Delhi will be the Member-Secretary of the National Committee.

3. The Committee will formulate broad guidelines for a national dairy keeping in view the dairy activities|interests in the country such as production, equipment manufacture commence, consumption, dairy administration and other aspects of Animal Husbandry and present a coordinated national view at the meetings of the International Dairy Federation.

4. The Committee will meet periodically at such time and place as may be decided by the Chairman, National Dairy Development Board.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all State Governments, Administration of Union Territories and the Departments of the Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. R. NAIR, Jt. Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 31st August 1985

File No. C.13011|1|75-Vig.—Disciplinary proceedings under Rule 14 of the CCS (CCA) Rules, 1965 were initiated against Shri D. S. Morkrima, Dy. Chief Controller of Imports & Exports, Office of the CCI&E, New Delhi. The Inquiry was conducted. The Inquiry Officer submitted his report but in the meantime Shri D. S. Morkrima, on attaining the age of superannuation retired from Government service.

2. Earlier, on consideration of the inquiry report, it was considered that in exercise of the power conferred under Rule 9 of the CSS (Pension) Rules, 1972, 5% cut of the monthly pension admissible to Shri D. S. Morkrima, Dy. CCI&E (retired) and also the dues owed to the Government be recovered from him. An opportunity was given to Shri D. S. Morkrima, Dy. CCI&E (since retired) vide Memorandum of even number dated 22-8-1984. Since his whereabouts were not known, the communication was received undelivered.

3. On careful consideration, the President has now provisionally come to the conclusion that Shri D. S. Morkrima, Dy. CCI&E (since retired) failed to maintain absolute integrity and committed misconduct in as much as he ordered on 1-6-1974 for issuing Import Licence for the item—"Stainless Steel Angles & Plates" in favour of M|s. Salwa Steel Industries, Meerut of higher value to which the said firm was not entitled in order to show favour to the said firm and thereby contravened Rule 3(1)(i) of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964. As such in exercise of the power conferred under Rule 9 of the CSS (Pension) Rules, 1972, the President now proposes to impose 50% cut of the monthly pension otherwise admissible to him and also the dues to the Government, if any, to be recovered from his gratuity.

4. Memorandum No. C|13011|1|75-Vig. dated 18-5-1985 wherein Shri D. S. Morkrima was given an opportunity to make any representation on the proposed penalty was addressed to him to the address :—Shri D. S. Morkrima, T|29, N&O, Road No. 20, Baliit Nagar, New Delhi. The letter was received back undelivered with the remark "addressee left India."

5. Shri D. S. Morkrima, Dy. CCI&E (since retired) is hereby given an opportunity to make representation on the proposed penalty but only on the basis of evidence adduced during the inquiry.

6. His representation should reach within 15 days from the date of publication of the notification in the Gazette of India. Failing which, proceedings will be held ex parte and the case will be finalised.

By order and in the name of the President

S. D. SINGH, Under Secy.

DEPARTMENT OF ELECTRONICS

New Delhi, the 28th August 1985

RESOLUTION

No. 5(12)|85-Comp.—The Government of India have had under consideration the formulation of an integrated policy for the Electronics Industry. As a first step in that direction, the President has been pleased to decide that the following INTEGRATED POLICY MEASURES ON ELECTRONICS shall come into effect.

1. *Broad-banding of Industrial Licences*

Henceforth, to optimally utilize the investments, 'Broad Band' licences will be issued for the following:

(i) Entertainment electronics, covering radio reeceivers, tape recorders, two-in-one, amplifiers, record players, record changers, TV sets-black & white and colour, CCTV systems, but excluding those reserved for small scale industry :

(ii) Computer peripherals :

(iii) Electronic test and measuring instruments, excluding those reserved for small scale industry; and

(iv) Discrete semiconductor devices

NOTE : These Policy measures were announced in the Parliament by the Minister of State for Electronics on 21st March, 1985 and notified in the interim, through a Press note of the same date.

2. *Policy for VCR|VCP and Microwave Ovens*

(A separate resolution will be issued in due course).

3. *Digital Electronic Watches*

The existing industrial and technology policy for electronic watches had reserved the marketing of Digital Electronic Watches (DEW) to the Central and State Public Corporations.

In view of the changed technology, as a result of which very cheap digital electronic watches are now available internationally, the following has been decided :

(a) Semiconductor Complex Ltd. (SCI) would be allowed to manufacture and sell low cost DEW modules to DEW assemblers, both in the State Public Sector and Small Scale Units, as well as other units engaged in the manufacture of mechanical watches, handicrafts, etc.

(b) The small scale units may be permitted to sell low cost DEW or other DEW module based products directly in the market.

If the demand out-strips the capacity of SCL, a second unit in the private sector will be permitted to manufacture these modules.

4. All consumer durable products mentioned in para 1(i) above would be de-licensed for applicants who will not draw on the resources of Financial Institutions.

5. *Quality and Reliability*

Government will set up adequate facilities for quality certification of electronic consumer durable goods so that consumers are assured of reliable products.

6. *Liberal Growth*

At the time of issuing industrial licences for any new product, the anticipated demand in the foreseable future, as well as the techno-commercial viability, will be kept in mind. The Government will insist on a minimum investment in capital equipment to ensure adequate added value in the country and technology absorption and development. A minimum production capacity will be insisted on. Once a licence has been issued, the licence holder will be assured of liberal upward growth.

7. In approving phased manufacturing programmes, the Government will ensure that reliance on imported populared printed circuit boards is reduced and genuine manufacture within the country is encouraged.

8. Indian companies including those with foreign equity of 40% or less will no longer be debarred from any field of electronics which is open to the organised private sector, only because of their foreign equity holding.

9. *FERA Companies*

Government would welcome foreign equity companies (i.e. those having more than 40% foreign equity) to set up manufacturing facilities for electronic components, materials and other closely held high technologies, where the country has not been able to invest sufficiently in research and development.

10. Import of technology would be permitted freely to develop an appropriate electronics base in the country. However, industries will be encouraged to establish in house technology base so that repeated import of technologies does not have to be resorted to.

11. *Location*

Electronics Industry will be allowed to be established in any of the permissible locations. Greater efforts will be made to develop electronics industry in the hill districts on a larger scale.

12. To plan this industry in an integrated manner and to ensure minimum drain on our foreign exchange, it is necessary to have detailed data from all electronic manufacturers, both in the organised and the small scale sectors. It is, therefore, proposed to introduce a compulsory single proforma which would be submitted by the industrial units, once a year, to the Department of Electronics.

13. In order to speed up scrutiny of proposals by financial institutions, they would be encouraged to set up separate cells for electronics and would be invited to participate in the project appraisal committees of the Department of Electronics.

14. Thee Computer Policy announced on 19th November, 1984 will be suitably extended and applied by the Department of Electronics to electronic control instruments, instrumentation and systems, industrial and professional electronics, and data communication equipment. A separate notification will be issued in this regard.

15. *Components*

Electronic component industry has already been de-licensed vide a Press Note issued by Ministry of Industry and Company Affairs on 16th March, 1985. In light of this, entrepreneurs wishing to set up component industries to produce components could register with the DGTD|SIA.

16. Government had earlier announced that components need to be manufactured in large volume; it is, therefore, proposed to de-reserve some of the components which today are reserved for the small scale sector.

17. Normally, manufacture of components is not permitted from intermediate levels. However, in the case of , bipolar linear and digital integrated circuits where heavy investments are called for, industry will be permitted, to begin with, to assembly from intermediate stage, provided an investment of at least Rs. 5.0 crores is made.

18. *Communications*

In the area of communications, certain product lines were were thrown open to the private sector as announced by the Deputy Minister for Electronics in March, 1984. It was proposed earlier that for switching systems, private party's participation beyond 49% would not be permitted; however, considering the limitations of the Government's resources and the gap in availability which is likely to emerge in the switching area, it is now proposed to set up an Ess factory using the technology that is being developed indigenously by the Centre for Development of Telematics (CDOT). The investment of the Government in this venture would be restricted to 26%, 25% would be offered to a private sector party and 49% would be thrown open to the general public.

19. *Research and Development*

In order that our electronics industry in the Eighth Five Years Plan does not have to depend largely on foreign technologies as is the position today, the Government has taken up several major research and development programmes. It has set up a Centre for Development of Telematics (CDOT), it has been encouraging research through the National Radar Council; it is rendering financial assistance for research in educational institutional and public sector enterprises through its Technology Development Council. It has recently announced the setting up of a National Microelectronics Council and proposes to set up a Centre for Development of materials for electronics.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to:

1. The President's Secretariat
2. The Prime Minister's Office.
3. Cabinet Secretariat
4. All Ministries|Departments of the Govt. of India
5. Comptroller & Auditor General of India
6. Chief Secretaries of All State Governments including Union Territories
7. Chairman, Central Board of Excise & Customs
8. Chief Controller of Imports & Exports
9. Directorate General of Technical Development
10. Science Counselors in Indian Embassies
11. Minister of State for Science & Technology and Electronics
12. Chairman of Electronics Commission
13. Secretary, Department of Electronics.
14. All Divisions|Sections of DOE.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information

No. 5(12)|85-Comp.—The Government of India have had under consideration, the question of reviewing the existing policy for manufacture, import and export of computers and computer-based systems. As a first step in that direction, the President has been pleased to decide that the following revisions be made to the existing policy and procedure for manufacture, import and export of computers and computer-based systems.

The revision is broadly aimed at accomplishing the following basic objectives :

(i) Enable manufacture in the country, of computers based on the latest technology, at prices comparable with international levels and progressively increase indigenisation consistent with economic viability.

(ii) Simplify existing procedures to enable users to obtain computers of their requirements either from indigenous sources or from overseas sources mainly regulated through fiscal measures.

(iii) Promote appropriate applications of computers which are of development catalysing nature with due regard for long term benefit of computerisation to the country as a whole.

The revised policy and procedures given below pertaining to computers and their associated subsystems like peripherals and software and computer-based systems in which the computer is a major subsystem.

A. *Manufacture* :

1. All regulatory measures concerning manufacture like scrutiny of applications for letters of Intent, Industrial Licenses, Foreign Collaboration, Phased Manufacturing Programmes (PMP) and CG & Raw-material imports, will be exercised by the existing Inter-Ministerial Standing Committee (IMSC) under the Department of Electronics (DOE) which has been designated for this extended purpose. The computer, Computer-Communication and Instrumentation (CCI) Wing of the Department of Electronics will continue to be the Secretariat for this Committee. All Applications should also be made directly to the CCI Wing of DOE.

2. Manufacture of micro|mini computers including personal computers, micro computers and VLSI-based minicomputers including those based on 32-bit chips or, equivalent (excluding 32 and higher bit super mini|mainframe architecture) will be permitted to any Indian company, i.e., wholly owned Indian companies and companies having foreign equity not exceeding forty percent, in the private or public sector.

3. The manufacture of CPU of mainframes and super mini-computers will be reserved for a period of two years for manufacture by the public sector. The precise definition of Mainframe range of computers and super minicomputers will be laid down from time to time by DOE.

4. A new classification "Computer and Computer-based Systems" will be introduced for the items covered under this policy. This new classification will be entitled for investment allowance and other incentives available for new industries. Software development and manufacture is classified as "Industry". The industry will be exempted from the purview of the locational policy etc., in view of its specialised high technology nature.

5. The existing capacity restrictions on the organised sector relating to total production value of Rs. 2 crores per year and of five systems per year below Rs. 3 lakhs will be deleted. Manufacture of micro and minicomputer systems will be permitted without any restriction on capacity except a minimum requirement of a viable capacity and a phased manufacturing programme (PMP) which will result in manufacture with as high indigenisation as is economically viable. The PMP for progressive realisation of economically viable indigenisation as well as progressive updating of technology would be ensured by the Department of Electronics through the IMSC.

6. For companies supplying CPUs, Peripherals and other subsystems on original equipment manufacture (OEM) basis, liberal import of knowhow shall be permitted and the excise duty will be kept at relatively low level with appropriate set-off.

7. A price purchase preference to Public Sector enterprises for Government and Public sector purchase of computers would be available as per prevailing Government policies applicable to this sector.

8. For Research and Development units recognised by DOE, import of designs and drawings will be allowed on OGL.

9. Adequately liberal import of designs and drawings, systems software and utility software will be initially permitted for manufacture and later regulated by PMP and raw material clearance. All applications for such imports should be sent to the CCI-Wing of Department of Electronics and will be examined by the IMSC.

10. The Department of Electronics through IMSC will take appropriate measures for the promotion of standardisation around certain LSI|VLSI chips and peripherals with due regard to indigenously made products.

11 Import of software, where allowed, shall be preferably in the form of source code. Special encouragement will be given to central purchase of source code of software and distribution within the country.

12. To be able to manufacture the final product at internationally competitive prices, it is necessary that components would be made available to manufacturers at as near international prices as possible. Suitable revision of the duty structure on components will be recommended by the Department of Electronics from time to time based on the following principles : Components which are not being manufactured in the country and which are not expected to be manufactured in the near future, will be identified and permitted to be imported at very low levels of import duty. For other components which are manufactured in the country or can be manufactured in the country or can be manufactured within a short period, liberal manufacturing facilities will be allowed to be set up taking advantage of economies of scale. Such components will be protected from imports with sufficiently high protective duty Such duty structures will be recommended from time to time by the Department of Electronics to the Ministry of Finance.

13. The procedure for import of raw materials and components for actual use of the manufacturer would be simplified and expedited. Upto a specified time limit after the registration of import application with the Department of Electronics, the clearance of raw materials will be governed by the IMSC which shall give a decision within two months of the registration of the application.

NOTE : These policy measures were notified in the interim, through a Press Note dated 19th November, 1984.

14. Computers manufactured in the country will be protected from imports through fiscal measures like high protective import duty levels recommended by DOE through the IMSC from time to time. Recommendations will be made to the Ministry of Finance to progressively reduce the import duties in order to encourage reductions in the cost of indigenous manufacture.

15. Procedures will be evolved by DOE through IMSC for making indigenous manufacturers competitive with respect to imports by educational institutions, R&D organizations, Defence Establishments and other categories of organizations for which direct import of computers do not attract import duty.

16. A letter of approval will be cancelled if the party does not take effective steps within a period stipulated by the DOE through IMSC.

17. All local manufacturers would be encouraged to provide capability for bilingual (Hindi and English) input-output facility in the computers manufactured by them from 1986 onwards to meet the demand from those who are required to use Hindi under the Official Languages Act.

18. Promotion of applications of computers in any social or economic sector will be carried out by encouraging setting up of System Engineering Companies in the Public and Private sector without undue constraint as long as the Computers and computer subsystems are brought from indigenous sources as available.

19. Within the ambit of the above mentioned policy frame work all details of procedures will be laid down by the DOE through the IMSC from time to time. The DOE through the IMSC is also empowered to steer the implementation and interpret the policies and procedures from time to time.

B. *Import* :

1. The same interminsterial standing committee (IMSC) under the DOE referred to in A(1) will examine the applications for import of computers for facilitating software exports. For this purpose, IMSC will also have a representative of Commerce Ministry as a Member. All applications should be directly sent to the CCI-Wing of the DOE.

2. Import of computers, computer-based systems and computer subsystems like peripherals for integrating with an imported CPU will be permitted only to actual and users.

3. With liberalisation of domestic manufacture, domestic computers will be enabled progressively to compete with imported computers on which a sufficiently high protective import duty will be levied.

   Actual users will be permitted to import standardised EDP systems as complete systems costing less than Rs. 10 lakhs CIF on the basis of liberal procedures by paying a sufficiently high protective duty. This will become effective on Ist April 1985 when the duty rate will also be announced.

   The Department of Electronics will recommend progressively lower levels of duty on such imports from time to time in order to make local manufacture progressively more competitive with respect to equivalent imported systems.

4. For import of computers and predominantly computer-based systems costing more than Rs. 10 lakhs C.I.F., the actual user would be required to apply to the Department of Electronics who would examine the application from the point of desirability of applications, essentiality and indigenous availability.

   If the use of the computer is desirable and is not available indigenously the user will be permitted to import at a low level of duty from a standardised list which would be announced periodically by the Department of Electronics. This list would contain between 12 and 18 models and will be periodically updated. The standardised list will be maintained to enable the advantage of bulk purchase and facilitate maintenance and exchage of software. To take advantage of the substantial reduction of foreign exchange for bulk purchase, the Department of Electronics would negotiate with the vendors of the models in the standardised list and execute a rate contract where possible, for a fixed duration of time.

5. Where import of computers or computer subsystems are needed as part of a justified proprietory purchase, or as any special purpose computer not available from indigeneous sources, clearance of the Department of Electronics is necessary. A low level of duty would apply.

6. After the clearance has been given by the Department of Electronics for purchase under (4) or (5) above, the user would be free to negotiate directly and take all further procurement action.

7. If for some justifiable special reason, the user wishes to avail of DOE's assistance in the actual procurement of the computer, they may approach DOE for the purpose and come to a proper understanding with DOE on how the computer is to be procured.

8. Import of application software not available commercially in the country would be permitted to actual users with low duty levels on a case to case clearance by DOE. The actual user may avail of OGL facility with a sufficiently high protective import duty for any software after informing, in writing, the Department of Electronics. In addition, where possible, DOE would arrange for centralised import of software for distribution to manufacturers and users on a no-profit no-loss basis.

9. Maintenance of imported computers and predominantly computer-based systems imported will be done either inhouse by the actual user or by the CMC Limited or by any other agency designated by DOE. The DOE designated agency or CMC or the user responsible for the maintenance of imported computer systems, will be permitted to import spares, tools, test equipment and software support for warranty maintenance on the basis of CCP licence if so required.

10. All import applications will be processed by the DOE through IMSC within two months of the registration of application in the CCI-Wing of DOE in complete form as per proforma notified from time to time.

11. All actual users who have imported computers of purchased indigeneous ones who are required to us Hindi under the Official Languages Act, will be encouraged to augment their computing facilities for input-output processing of data in Devanagari in addition to English within two years of installation of the system or within two years from the date of this Notification, whichever is earlier.

12 Within the ambit of the above mentioned policy framework all details of procedures will be laid down by the DOE through the IMSC from time to time. The DOE through the IMSC is also empowered to steer the implementation and interpret the policies and procedures from time to time.

C. *Software Development & Export* :

1. The Department of Electronics will set up an extensive research, design and development facility. This organization will be given special encouragement to not only develop knowhow through indigenous efforts, but also import knowhow on a

centralised basis where found advantageous and absorb as well as improve on this knowhow on a continuous basis. This organization would cumulate a standardised menu of knowhow for making them available to interested users and enterpreneurs.

2. DOE will set up a Software Development Promotion Agency to give an impetus to the growth of manpower intensive software development efforts for both exports and local requirements including import substitution as an integrated effort.

3. Effective software export promotion on a sustained basis can be effective in the long run only if it is planned as a part of an overall software promotion scheme covering both export and internal requirements including Import substitution. Also, planning for software development is integrally connected with the plan for hardware development and system engineering. The Software Export Promotion Policy of January 1982 will continue to apply but will include the following modifications :

(i) The general structure of 100% export schemes applied as hitherto, will continue to be applicable for computer items.

(ii) Category 'A' and 'B' scheme will be modified as outlined in the Import-Export Policy, April 1984 March 1985, Volume I, Chapter 5, Para 22.

(iii) Category 'C' in the existing Software Export Scheme will continue in its present form except for the following additional provisions :

(a) The following two options will be available to the exporter :

(i) either complete duty exemption with custom bonding,

(ii) or, duty payment without custom bonding.

(b) 50 percent of export earning will be available to the exporter on the same basis as for categories 'A' and 'B'.

(c) All facilities and incentives available under the 100 percent software export scheme will be available to Category 'C' scheme also.

(iv) Software exports shall also be promoted through satellite based data links with overseas computers. This wil be carried out by DOE in coordination with the Ministry of Communication P&T Department.

(v) The National Computer, INDONET will be made available predominantly to promote software export from public and private sector enterprises with special consideration for software houses in the small scale sector.

(vi) For import of computers under any of the software export schemes, a special low duty window will be provided.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to :—

1. The President's Secretariat.
2. The Prime Minister's Office.
3. Cabinet Secretariat.
4. All Ministries/Departments of the Government of of India.
5. Comptroller & Auditor General of India.
6. Chief Secretaries of All State Governments including Union Territories.
7. Chairman, Central Board of Excise & Customs.
8. Chief Controller of Imports & Exports.
9. Directorate General of Technical Development.
10. Science Counselors in Indian Embassies.
11. Minitsr of State for Science & Technology and Electronics.
12. Chairman, Electronics Commission.
13. Secretary, Department of Electronics.
14. All Divisions/Sections of DOE.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazttte of India for general information.

N. SESHAGIRI, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1985